न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिरोही राजस्थान
बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार, आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र संख्या 109/2018

प्रार्थी
श्री भबूताराम पुत्र श्री सोमारामजी
जति भील आयु 37 वर्ष पेशा खेती
रेबारियों का वास मण्डवारिया

बनाम

अप्रार्थीगण
1– ललितकुमार पुत्र श्री मदनलाल
2– भावना पुत्री श्री मदनलाल
3– रक्षा पुत्री श्री मदनलाल
4– कमला पत्नि श्री मदनलाल
5– अरविन्द कुमार पुत्र श्री. भबूतराम
6– सरोज पुत्री श्री भबूतराम
7– विजयालक्ष्मी पुत्री श्री भबूतराम
8– रेखा पुत्री श्री भबूतराम
सभी आयु व्यस्क जातियान
गोरवाल ब्राहाण निवासीयान पाडीव
तहसील सिरोही जिला सिरोही
9– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार
सिरोही

उपस्थित :–
1– श्री प्रवीणकुमार छीपा वकील प्राथीगण की ओर से
2– श्री प्रमोदकुमार दवे ,वकील अप्रार्थीगण
3– अप्रार्थी संख्या 9 स्टेट की ओर से तहसीलदार,सिरोही

रा.प्रा.अ.धारा 251(क) की उपधारा (1)राज.अभिधृति अधिनियम 1955 के तहत वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने

निर्णय

दिनांक 30–9–2019

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क)की उपधारा (1) राजस्थान अभिधृति अधिनियम के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 तक के विरूद्व वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने बाबत इस न्यायालय मे दिनांक 6–11–2018 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम बलवन्तगढ पटवार हल्का पाडीव तहसील सिरोही मे खाता संख्या नया 255 पुराना 238 खसरा नंबर 813/716 रकबा 1.3500 हैक्टेयर किस्म चाही I आई हुई है। राजस्व ग्राम बलवन्तगढ पटवार हल्का पाडीव तहसल सिरोही मे अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या नया 136 खाता संख्या पुराना 699 खसरा नंबर 113 रकबा 0.3800 हैक्टेयर किस्म बारानी I, खसरा संख्या 183 रकबा 1.7000 हेक्टेयर किस्म बारानी I,खसरा संख्या 300 रकबा 0.2100 हैक्टेयर किस्म बारानी I ,खसरा संख्या 705 रकबा 7.6100 हैक्टेयर किस्म चाही 3 कुल किता 4 कुल रकबा 9.9000 हेक्टेयर है। प्रार्थी को अपने स्वंय के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 813/716 मे आने जाने हेतू अप्रार्थीगण के उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या 705 की कृषि भूमि मेसे संलग्न नजरी नक्शे मे लाल स्याही से दर्शित अनुसार रास्ते की भूमि का उपयोग व उपभोग कदीम से लगातार शान्तिपूर्वक करता चला आ रहा है। तथा उक्त रास्ते से प्रार्थी ट्रेक्टर इत्यादि स्वंय की खातेदारी कृषि आराजी मे ले जाकर खेती,जोताई,एवं बुवाई कार्य शुरू से

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page-2

करता चला आ रहा है तथा इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग आस पडौसियान की कृषि भूमि के खातेदार भी कदीम से शान्तिपूर्वक करते रहे है। उक्त रास्ते के अलामात मौके पर मौजूद है, जो संलग्न नजरी नक्शे मे लाल स्याही से दर्शित है। प्रार्थी की उक्त कृषि आराजी पर आने जाने हेतू एकमात्र रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 705 मेसे होकर है। अप्रार्थीगण की कृषि भूमि पर आने जाने हेतू अन्य कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है तथा प्रार्थी को अपने खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजी पर जाने हेतू अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 705 मेसे संलग्न नजरी नक्शे अनुसार चालीस फीट चौडे रास्ते की प्रथम दृष्टयॉ अतिआवश्यकता है। प्रार्थी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकर रकम जमा करवाने हेतू तैयार है । अतः प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण के खाता संख्या नया 136 खाता संख्या पुराना 699 खसरा संख्या 705 रकबा 7.6100 हेक्टेयर की कृषि भूमि मे संलग्न नजरी नकशे अनुसार स्थित 40 फीट चौडा रास्ता बाद जॉच राजस्व रेकर्ड मे दर्ज एवं नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश न्यायहित मे प्रदान करना फरमावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित दस्तावेजात प्रतियों मे राजस्व ग्राम बलवन्तगढ मे स्थित प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 813/716 की जमाबंदी संवत 2070–2073, राजस्व ग्राम बलवन्तगढ मे स्थित अप्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 705 की जजमाबंदी संवत 2070–2073,प्रार्थी एवं आस पडौस की कृषि भूमि को दर्शाते हुये पटवारी हल्का पाडीव बलवन्तगढ द्वारा जारी रेवेन्यू लट्ठा ट्रेस ,प्रार्थी की कृषि भूमि मे आने जाने हेतू दर्शाते रास्ते की भूमि का नजरी नक्शा ,प्रार्थी के मतदाता पहचान पत्र की फोटो प्रति उक्त प्रमाणित प्रतियो का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 6–11–2018 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 तक को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये । विचारण प्रार्थनापत्र की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 22–1–2019 को अप्रार्थी संख्या 1 तथा 5 की ओर से वकील श्री प्रमोदकुमार दवें ने वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया तथा वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 से 4 तथा 6 से 8 तक को नये नोटिस जरिये रजिर्स्टड ए.डी. से भेजने हेतू समय चाहने से न्यायहित मे समय दिया गया

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 13–3–2019 को वकील अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 व 5 की ओर से जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया । उक्त जवाब की प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध कराई गई ।

अप्रार्थी संख्या 1 व 5 ने अपने उक्त जवाब के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 स 3 का कथन प्रार्थी स्वंय सिद्व करें तथा प्रार्थनापत्र के पद संख्या 4 के सम्बन्ध मे जवाब दिया कि अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि पद मे दर्शाये अनुसार आना स्वीकार है। परन्तु प्रार्थी के आने जाने के लिये रास्ते मौके पर खसरा संख्या 719 के किनारे से होकर उपलब्ध है वहीं से आते जाते है तथा नाले के किनारे से होकर खसरा संख्या 717 मेसे होकर जाते है परन्तु न तो कोई 40 फीट चौड रास्ते की आवश्यकता रहती है न ही 40 फीट चौडे रास्ता कानूनन दिया जा सकता है न ही कोई प्रथम दृष्टियॉ 40 फीट रास्ते की आवश्यकता है। संलग्न नक्शे मे रास्ते की जो मांग की गई है वह अप्रार्थीगण के कृषि भूमि को दो भागो मे विभाजन करते हुये मांगा है जो किसी भी रूपम` रास्ता दिया जाना संभव नही है साथ ही मूल रास्ते के लगते खसरा नंबर 719 की भूमि है जो प्रार्थी की भूमि के पास

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page-3

है तथा रास्ते के काफी करीब है तथा खसरा संख्या 719 के किनारे पर से ही प्रार्थी आते जाते है जिससे खसरा नंबर 719 की भूमि मेसे रास्ता लिया जा सकता है। अप्रार्थीगण की भूमि मेसे रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी प्रार्थी नही है। अप्रार्थीगण संलग्न नजरी नक्शा पेश कर रहा है उस अनुरूप रास्ता प्राप्त कर सकता है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 5 का जवाब है कि प्रार्थी खसरा संख्या 719 की भूमि के खातेदार को पक्षकार बनाकर उससे रास्ता प्राप्त करने के लिये आवेदन दे सकता है और उस अनुरूप रास्ते के लिये राशि खसरा संख्या 719 के खातेदार को अदा कर सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अप्रार्थीगण के विरूद्व खारीज करना फरमावें ।

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 13–8–2019 को अप्रार्थी संख्या 2 से 4 तथा 6 से 8 तक के नये नोटिस वकील प्रार्थी द्वारा पेश करने से प्रार्थी के खर्चे पर रजिस्र्टड ए.डी. नोटिस भेजे गये । विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 28–8–2019 को दौराने सुनवाई उभय पक्षकार वकील अप्रार्थी संख्या 2,6,7,8 को जारी रजिस्र्टड ए.डी. नोटिस पोस्टमेन की इस रिर्पोट के साथ प्राप्त हुये कि प्राप्तकर्ता आउट आफ स्टेट रहते है पता नही है सुनवाई के दौरान वकील प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 2,6,7 तथा 8 के नोटिस स्थानीय दैनिक अखबार मे प्रकाशित करने हेतु अनुमति चाहने से वकील प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 2,6,7,8 के नोटिस उक्त दैनिक अखबार मे स्वंय के खर्चे पर प्रकाशित कराने की अनुमति न्यायहित मे न्यायालय द्वारा प्रदान की गई तथा अखबार की प्रति पेश करने का वकील प्रार्थी को निर्देश दिये तथा उक्त ननोटिस अखबार मे प्रकाशित कराने हेतु जारी कर दस्ती नोटिस वकील प्रार्थी को दिये गये । अप्रार्थी संख्या 9 स्टेट तहसीलदार सिरोही के द्वारा प्रस्तुत जवाब भ्रामक् व स्पष्ट स्थिति नही होने से प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान मौके की तथ्यात्मक स्थिति हेतु मौका निरीक्षण रिर्पोट जिसमे प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि की राजस्व रेकर्ड एवं मौके की जांच रिर्पोट रास्ते की भूमि का खसरा नंबर 705 भूमि की कुल रकबा 7.6100 हेक्टेयर भूमि मेसे प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि का रकबा नक्शा सहित मौका निरीक्षण रिर्पोट तहसीलदार सिरोही से मगवाना न्यायोचित होने से संशोधित जवाब/मौका निरीक्षण रिर्पोट तहसीलदार सिरोही से मगवाई जावें । न्यायालय के उक्त आदेश की पालना मे मौका निरीक्षण रिर्पोट मंगवाने हेतू तहसीलदार सिरोही को पत्र कमांक 1210 दिनांक 30–8–2019 जारी किया गया।

इस न्यायालय मे विचारण प्रकरण की सुनवाई पेशी दिनांक 11–9–2019 को अप्रार्थी संख्या 3 रक्षा को जारी नोटिस की रजिस्र्टड ए.डी. की पावती रसीद प्राप्त होने से शा.मि. की गई । अप्रार्थी संख्या 2 भावना 6 सरोज 7 विजयालक्ष्मी 8 रेखा का न्यायालय के आदेशानुसार प्रार्थी के खर्चे से दैनिक स्थानीय अखबार दैनिक नवज्योति दिनांक 5–9–2019 को उक्त अप्रार्थीगण के नोटिस उक्त अखबार मे प्रकाशित कराकर वकील प्रार्थी ने अखबार की प्रति पेश करने से शा.मि. किया गया । अप्रार्थी संख्या 9 स्टेट तहसीलदार सिरोही ने जरिये पत्र कमांक 616 दिनांक 11–9–2019 के संशोधित जवाब पेश करने से शा.मि. किया गया । अप्रार्थी संख्या 4 कमला को नोटिस की तामिली की रजिर्स्टड ए.डी. की पावती रसीद पूर्व से ही शा.मि. है। विचारण प्रकरण की दौराने सुनवाई अप्रार्थी संख्या 4 कमला 3 रक्षा को बावजूद रजिर्स्टड ए.डी. नोटिस तामिली होने के उपरान्त तथा अप्रार्थी संख्या 2,,6,7,8 को जरिये प्रार्थनापत्र व जमाबंदी मे अंकित नाम व पते अनुसार न्यायालय आदेशानुसार स्थानीय अखबार दैनिक न्वज्योति दिनांक 5–9–2019 मे नोटिस प्रकाशित होने की जरिये उक्त अखबार जानकारी होने के बावजूद हाजिर नही है जिस पर न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 2,3,4,6,7,8 को दौराने सुनवाई हाजिर होने हेतू न्यायालय द्वारा बार बार आवाजे लगवाने के बावजूद स्वंय या

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page-4

इनके प्रतिनिधि/वकील कोई भी न्यायालय समय तक हाजिर नही होने से न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 2,3,4,6,7,8 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही मल मे लाने के आदेश दिये गये । विचारण प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या 1 व 5 तथा 9 का जवाब पूर्व मे इस न्यायालय मे दिनांक 13–3–2019 को प्राप्त होने तथा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को रजिर्स्टड ए.डी. से नोटिस की प्राप्तीर होने के बावजूद आज न्यायालय मे दौराने सुनवाई हाजिर नही होने तथ अप्रार्थी संख्या 2,6,7,8 को दैनिक नवज्योति स्थानीय अखबार के माध्यम से जानकारी होने के बावजद दौराने न्यायालय मे हाजिर नही होने से एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित हो चुके है।

अप्रार्थी संख्या 9 स्टेट तहसीलदार,सिरोही ने अपने जवाब मे यह कथन किया कि ग्राम बलवन्तगढ मे प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की मौका जांच की गई,प्रस्तावित रास्ता खसरानंबर 705 मेसे चाहा गया है। प्रस्तावित रास्ते को संलग्न नक्शे मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ते की लंबाई 104 मीटर, चौडाई 12 मीटर तथा क्षैत्रफल 0.1248 हैक्टेयर है। प्रस्तावित रास्ता लघुतम है व प्रार्थी की भूमि मे जाने हेतू उपयुक्त है। इस रास्ते के अलावा (खसरा नंबर 705) प्रार्थी की भूमि मे जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है।

इस न्यायालय मे दिनांक 27–9–2019 विचारण इस प्रकरण की इस न्यायालय मे उक्त प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट पर वकील प्रार्थी तथा वकील अप्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 9 स्टेट पैरोकार सरकार (तहसीलदार सिरोही) की अंतिम बहस रखी जाने पर न्यायालय मे उपस्थित होकर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

हमने विचारण प्रकरण प्रार्थनापत्र अ0धा0 251(क) आर.टी.एक्ट पर वकील प्राथी तथा वकील अप्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 9 स्टेट तहसीलदार,सिरोही की अंतिम बहस पर गंभीरता से मनन किया । विचारण प्रकरण की मूल पत्रावली मय प्रार्थनापत्र व जवाब स्टेट तहसीलदार,सिरोही व संलग्न राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व संलग्न नक्शा ट्रेस किश्तवार पटवारी हल्का पाडीव का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया गया कि प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या 2,3, 4, 6,7,8 के के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा पूर्व मे दिये जा चुके है। प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि मे जाने के लिये रेकर्ड मे रास्ता दर्ज नही है इस कारण नियमानुसार राशि अदा किये जाने पर प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित है। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि मेसे होकर विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले मे पहॅुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया है। अतः प्रार्थीगण को खातेदारी आराजी मे होकर आने जाने के लिये मवेशी,ट्रेक्टर,बैलगाडी आदि के लिये रास्ते की सुविधाजनक उपयोग के लिये आत्यांतिक आवश्यकता होने से प्रार्थीगण द्वारा मांगी उक्त जगह से रास्ता दिया जाने तथा तहसीलदार,सिरोही द्वारा प्रस्तावानुसार जगह से रास्ता दिया नही दिया जाकर उभय पक्षकारान के हितो को ध्यान मे रखते हुये न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुये मौजा बलवन्तगढ पटवार हल्का पाडीव तहसील सिरोही के खसरा नंबर 719, 720 के उतर दिशा मे जमाबंदी संवत 2070–2073 खाता संख्या नया 136 अनुसार संयुक्त खातेदार अप्रार्थीगण ललितकुमार पुत्र मदनलाल भावना रक्षा पुत्रीयॉ मदनलाल कमला पत्नि मदनलाल 1/3 अरविन्दकुमार पुत्र भबूतराम 1/3 ललितकुमार पुत्र मदनलाल भावना रक्षा पुत्रीयॉ मदनलाल कमला पत्नि मदनलाल अरविन्दकुमार पि.भबूतराम सरोज विजयालक्ष्मी रेखा पुत्रीयॉ भबूतराम 1/3 जाति गोरवाल ब्राहाण सा. पाडीव खातेदार है की उक्त संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि के खसरा नंबर 705 रकबा 7.6100 हेक्टेयर मेसे 30 फीट चौडाई व लंबाई

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

आवश्यकतानुसार का मार्ग खसरा नंबर 813/716 मे जाने हेतू दिये जाने का आदेश दिया जाता है। तद अनुसार ही रास्ता राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट का विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 व 8 स्टेट तहसीलदार/सिरोही स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। उक्त रास्ते की भूमि गै.मु. रास्ते के रूप मे सार्वजनिक रास्ते के लिये स्वीकृत की जाती है। उक्त रास्ते की भूमि की किमत प्रार्थी द्वारा उक्त अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदारान को अप्रार्थी स्टेट भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार/सिरोही को नियमानुसार राशि अदा किये जाने पर रास्ता अप्रार्थीगण की उक्त संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 705 रकबा 7.6100 हेक्टेयर मेसे 30 फीट चौडाई व लंबाई आवश्यकतानुसार मेसे दिया जाना उचित है। अतः उक्तानुसार नियमानुसार प्रतिकर की राशि प्राथी द्वारा खजाने राज जमा कराना होगा । इस सम्बन्ध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत धारा 251 व 251(क) के तहत राजस्थान सरकार के श्रीमान संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग/राजस्थान जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प03(52) राज–6/4 दिनांक 14–6–2013 बाबत् राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के संबंध मे दिये गये प्रावधानों अनुसार उक्त रास्ते की स्वीकृत की गई भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रीति से अवधारित करने हेतु तहसीलदार/सिरोही को आदेश दिये जाते हैः–

(क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरों या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग के विस्तार या चौडा करने के मामले मे राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों का दुगुना और
(ख) उपनियम (1) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन अवधारित भूमि के मुल्य के अतिरिक्त यदि खडे वृक्ष फसल या संरचनाओ को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी ।

प्रार्थी द्वारा उक्तानुसार रास्ते की भूमि की किमत अवधारित की जाकर तहसीलदार, सिरोही द्वारा उक्त रास्ता की भूमि की नियमानुसार किमत अवधारित कर किमत की राशि तहसील कार्यालय सिरोही मे जमा करवाने व रास्ते के लिये उक्त भूमि के संयुक्त खातेदार अप्रार्थीगण ललितकुमार पुत्र मदनलाल भावना रक्षा पुत्रीयॉ मदनलाल कमला पत्नि मदनलाल 1/3 अरविन्दकुमार पुत्र भबूतराम 1/3 ललितकुमार पुत्र मदनलाल भावना रक्षा पुत्रीयॉ मदनलाल कमला पत्नि मदनलाल अरविन्दकुमार पि. भबूतराम सरोज विजयालक्ष्मी रेखा पुत्रीयॉ भबूतराम 1/3 जाति गोरवाल ब्राहाण सा. पाडीव खातेदार है को उपरोक्तानुसार राशि का भुगतान करने पर भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार, सिरोही)को राजस्व रेकर्ड व नक्शा मे अमल दरामद रास्ते की भूमि कम कर राजस्व रेकर्ड मे किस्म गैरमुमकिन सार्वजनिक रास्ता श्री सरकार बिलानाम खाते मे दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 30–9–2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 30–9–2019 को मेरे हस्ताक्षर/पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2019.12.30 19:32:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: